

विकलांग कल्याण विभाग उ.प्र. आवेदन पत्र

फोटो

नेत्रहीन मूक वधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिये आवेदन पत्र

नोट—आवेदन पत्र को केवल वे ही व्यक्ति भरे जो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग से अनुदान सहायता भत्ता न प्राप्त करते हों एवं उनकी शारीरिक व आर्थिक स्थिति सम्बन्धित नियमावली में दिये गये नियमों के अनुकूल हो आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त विन्दुओं पर वांछित विवरण सूचना दिया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचना सही व स्पष्ट दी जानी चाहिये आवेदन पत्र अपने जिले में जिला समाज/विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा किये जायेंगे जिन प्रार्थना पत्रों में सत्य पूर्ण तथा वाछिंत सूचना नहीं दी जायेगी अथवा आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर कार्यालय में जमा नहीं किये जायेगे तो उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला तहसील नगर/ग्राम

प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम

स्थायी पता ग्राम/मोहल्ला

पोस्ट जिला

जाति (यदि अनु. जाति/अनु.जन.जाति के हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।).....

प्रार्थी/प्रार्थिनी की जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....

प्रार्थी/प्रार्थिनी की आयु वर्षों में

पिता का नाम

प्रदेश जिसके निवासी हैं.....

उ.प्र में निवास की अवधि

प्रार्थी/प्रार्थिनी स्वास्थ्य की स्थिति वाधिता के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

प्रार्थी/प्रार्थिनी निराश्रित है तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे

प्रार्थी/प्रार्थिनी की अचल/चल सम्पत्ति की विवरण

प्रार्थी/प्रार्थिनी मासिक आय

प्रार्थी/प्रार्थिनी की अन्य सहायता

प्रार्थी/प्रार्थिनी को अन्य सहायता राज्य अनुदरन भारत सरकार ,गैर सरकारी संगठन से प्राप्त होती है यदि हों तो उल्लेख करें।

प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा सपथ पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि

क. मेरे गुजर वसर का कोई जरिया नहीं है और न ही किसी प्रकार की आय है

ख. मुझे शासन द्वारा कोई सहायता या पेन्शन नहीं मिलती है

ग. मैंने इसके पूर्व शासन को आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है

घ. प्रार्थना पत्र में जो भी सूचना दी गयी है यह सत्य हैं यह गलत यिद्ध होने पर अनुदान की धनराशि सरकार की संबंधित नियमावली के अनुसार वापिस करने के लिये वाध्य हूँ

ड. मेरा कोई पुत्र अथवा पौत्र अथवा निकट सम्बन्धी नहीं है जो मेरा भरण पोषण में सहायता प्रदान करता है

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हास्ताक्षर

क्या आपको इस योजना के अन्तर्गत वर्ष चालू वर्ष में अनुदान की सहायता प्रदान की गयी हो यदि हां तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र दें।.....
मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि गत वर्ष दिनांक..... में रूपये.....तक के लिए स्वीकृत किया गया था।

प्रार्थी/प्रार्थिनी के ह.या निय अगूठा

जिला बिकलांग /समाज कल्याण अधिकारी की जांच आख्या

1. प्रार्थना पत्र दिनांक..... को प्राप्त हुटा था और मैने इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में दी गयी सत्यता सूचना प्रमाण पत्रों की भली प्रकार निरीक्षक कर लिया है भी सत्य है।
2. जिला समाज /विकलांग कल्याण अधिकारी की स्वय अथवा निरीक्षक कर्ता की संस्तुति के अधार पर श्री /श्रीमती/कुमारी को भरण पोषण हेतु रु प्रतिमाह की दर से प्रति माह की आर्थिक सहायता दिनांक से तक के लिए स्वीकृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष २०... में आदेश संख्यादिनांक के अन्तर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी को रूपयाप्रति माह की दर से रु.की आर्थिक सहायता दिनांक सेतकके लिए स्वीकृत की गई थी इसके आधार पर वर्षमेंरु.....प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दिनांक से तक कें नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला विकलांग /समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी—समस्त आवेदन पत्र अपने जिले के जिला समाज /विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिये /आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

१.प्रार्थी/प्रार्थिनी कर शारीरिक वाधिता/चिकित्सा प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाये।(मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा)

२ आयु का प्रमाण पत्र

३ मासिक आय का प्रमाण पत्र

४ अधिवास का प्रमाण पत्र

५ चल/अचल सम्पति का प्रमाण पत्र

६ अनुबन्ध—पत्र

७ परिवार के सदस्यों का विवरण

८ जाति का प्रमाण पत्र (यदि अन.जाति से सम्बन्धित है) तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र